

न्यायालय भू अगिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)  
आसीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 10/2010

दायरा तिथि : 10.03.2010

फैसला तिथि : 14-05-2022

प्रार्थीगण:-

हसमुख, हिम्मतमल पुत्र धीसुलाल जातिगण कुम्हार (प्रजापत).

निवासीगण सेसली हाल बाली तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री हसमुख, हिम्मतमल..... स्वयं प्रार्थीगण
2. नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

--: आदेश :-

दिनांक 14-05-2022

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सेसली तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 901 रकबा 1.3900 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हंसाराम पुत्र धीसा व हिम्मताराम पुत्र धीसा को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम हसमुख पुत्र धीसा व हिम्मतमल पुत्र धीसा शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम हंसाराम पुत्र धीसा व हिम्मताराम पुत्र धीसा दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम हसमुख पुत्र धीसा व हिम्मतमल पुत्र धीसा दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम हंसाराम पुत्र धीसा व हिम्मताराम पुत्र धीसा के स्थान पर हसमुख पुत्र धीसा व हिम्मतमल पुत्र धीसा शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम हसमुख पुत्र धीसा व हिम्मतमल पुत्र धीसा है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा धारित आधार कार्ड की प्रति पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम हंसाराम पुत्र धीसा व हिम्मताराम पुत्र धीसा दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेसली तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 901 रकबा 1.3900 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हंसाराम पुत्र धीसा व हिम्मताराम पुत्र धीसा को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम हसमुख पुत्र धीसा व हिम्मतमल पुत्र धीसा शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस.)  
आसीन अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)  
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 14-05-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



भू अगिलेख अधिकारी  
(सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस.)  
बाली, जिला-पाली (राज.)